जनपद शामली पुलिस

--सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक-15.02.2025

थाना झिंझाना पुलिस द्वारा पशु चोरी की 03 घटनाओं का सफल अनावरण करते हुए 02 अन्तर्जनपदीय पशु चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की गयी 02 भैंस, 01 गाय मय बछड़ा, अवैध हथियार व कारतूस एवं घटना में प्रयुक्त पिकअप बरामदः-

आज दिनांक 15.02.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे संदिग्ध वाहन/व्यक्ति की चैकिंग अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल नेतृत्व में थाना झिंझाना पुलिस द्वारा पशु चोरी की 03 घटनाओं का सफल अनावरण करते हुए अन्तर्जनपदीय 02 पशु चोरो को चोरी की गयी 02 भैंस, 01 गाय मय बछड़ा, अवैध हथियार व कारतूस एवं घटना में प्रयुक्त पिकअप सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। घटना में लिप्त एक अभियुक्त जाबिर की गिरफ्तारी हेतु टीमें लगायी गयी हैं यथाशीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित की जायेगी। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना झिंझाना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः- अभियुक्तगण नें पूछताछ पर बताया कि हम अपने साथी जाबिर पुत्र हक्ला निवासी ग्राम कुण्डाकला थाना गंगोह जनपद सहारनपुर के साथ मिलकर ग्राम के बाहरी क्षेत्र से पशु चोरी करते है। दिनाँक 24/01/2025 को रात्रि मे हमनें थाना सरसावा जनपद सहारनपुर क्षेत्र के ग्राम असदपुर से एक भैंस व एक लवारा चोरी किया था व दिनाँक 25/01/2025 की रात्रि मे गंगोह रोड जलालाबाद से एक गाय व बछडा चोरी किया था तथा दिनाँक 09/10.02.2025 की रात्रि मे थाना सरसावा जनपद सहारनपुर के ग्राम समसपुर से एक भैंस चोरी की थी। आज हम दोनो अपने साथी जाबिर के साथ पिकअप गाडी से पशुओं को लिए जा रहे थे।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तगण:-

1.हाशिम पुत्र अख्तर निवासी ग्राम कुण्डाकला थाना गंगोह जनपद सहारनपुर।

2.इसरार पुत्र इसराईल निवासी ग्राम कुण्डाकला थाना गंगोह जनपद सहारनपुर।

आपराधिक इतिहास अभियुक्तगण उपरोक्त:-

1.मु0अ0स0 29/25 धारा 305ए बीएनएस थाना सरसावा जनपद सहारनपुर।
2.मु0अ0स0 54/25 धारा 305ए बीएनएस थाना सरसावा जनपद सहारनपुर।
3.मु0अ0स0 35/25 धारा 303(2) बीएनएस थाना थानाभवन जनपद सहारनपुर।
4.मु0अ0स0 48/2025 धारा 317(5) बीएनएस 3/25 व 4/25 अधि0 थाना झिंझाना जनपद शामली।

बरामदगी का विवरण:-

1.चोरी की गयी 02 भैंस।

2.चोरी की हुयी 01 गाय मय बछड़ा।

3.एक अवैध तमंचा मय 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर।

4.एक अवैध चाकू।

5.घटना में प्रयुक्त पिकअप रजि0नं0 UP11AT8952।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.निरीक्षक श्री जितेन्द्र कुमार शर्मा प्रभारी थाना झिंझाना जनपद शामली।

2.उ0नि0 श्री ज्ञानेन्द्र सिंह चौकी प्रभारी चौसाना थाना झिंझाना जनपद शामली।

3.उ0नि0 श्री राकेश कुमार चौकी चौसाना थाना झिंझाना जनपद शामली।

4.है0का0 आशीष कुमार चौकी चौसाना थाना झिंझाना जनपद शामली।

5.है0का0 मुकेश कुमार चौकी चौसाना थाना झिंझाना जनपद शामली।

6.है0का0 फारुख चौकी चौसाना थाना झिंझाना जनपद शामली।

7.का0 जितेन्द्र कुमार चौकी चौसाना थाना झिंझाना जनपद शामली।

<u>थाना झिंझाना पुलिस द्वारा घरेलू हिंसा व मारपीट करने के मामले में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तारः-</u>

आज दिनांक 15.02.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार चलाए जा रहे महिलाओं के विरूद्ध अपराध की रोकथाम एवं महिला अपराधों से संबंधित वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल नेतृत्व में थाना झिंझाना पुलिस द्वारा घरेलू हिंसा व मारपीट करने के मामले में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी के संबंध मे थाना झिंझाना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

ज्ञात हो कि दिनांक 08.09.2024 को थाना झिंझाना क्षेत्रान्तर्गत पीडिता के परिजन द्वारा पीडिता के साथ घरेलू हिंसा व मारपीट करने के सम्बन्ध में थाना झिंझाना पर नामजद तहरीर दाखिल की थी। दाखिला तहरीर के आधार पर थाना झिंझाना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा घटना में लिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु प्रभारी निरीक्षक थाना झिंझाना को निर्देशित किया गया था।

<u>नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-</u>

1.जितेन्द्र पुत्र मांगेराम निवासी ग्राम अलीपुर कला थाना तितावी जनपद मुजफ्फरनगर।

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-</u>

1.उ0नि0 श्री प्रमोद कुमार चौकी चौसाना थाना झिंझाना जनपद शामली।
2.का0 अमित कुमार थाना तितावी जनपद मुजफ्फरनगर।
3.हो0गा0 विजेंद्र सिंह थाना तितावी जनपद मुजफ्फरनगर।

थाना बाबरी पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध 20 पव्वे अंग्रेजी शराब क्रेजी रोमियो (मार्का) बरामदः-

दिनांक 15.02.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार चलाए गये अवैध शराब के अपराध में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी/बरामदगी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी थानाभवन के कुशल नेतृत्व में थाना बाबरी पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त को अवैध 20 पव्वे अंग्रेजी शराब क्रेजी रोमियो (मार्का) सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बाबरी पर सुसंगत धाराओं मे अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.विक्रम पुत्र सोमवीर निवासी ग्राम कैडी थाना बाबरी जनपद शामली।

बरामदगी का विवरणः-

1.अंग्रेजी शराब 20 पव्वे क्रेजी रोमियो (मार्का)।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.उ0नि0 श्री सुनील कुमार थाना बाबरी जनपद शामली।

2.है0का0 विनोद पाल थाना बाबरी जनपद शामली।

3.का0 हातम थाना बाबरी जनपद शामली।

4.का0 भारत कुमार थाना बाबरी जनपद शामली।

थाना थानाभवन पुलिस द्वारा थाना थानाभवन क्षेत्रान्तर्गत ग्राम मंटी हसनपुर के पास भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग के कार्य की साईट से हुई चोरी की घटना में वांछित 01 अन्य चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी किये गये सामान से बेचकर प्राप्त धनराशि में से 1,500/- रुपये की नगदी बरामदः-

ज्ञात हो कि दिनांक 10.01.2025 को वादी श्री ब्रजपाल पुत्र कवल सिंह निवासी ग्राम काशीपुर नानौता जनपद सहारनपुर के द्वारा थाना थानाभवन क्षेत्रान्तर्गत ग्राम मंटी हसनपुर के पास भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग का कार्य की साईट से 28 सेटरिंग प्लेट व 03 सोल्जर अज्ञात चोरों द्वारा चोरी कर लेने के सम्बन्ध में थाना थानाभवन पर तहरीर दी गयी थी। दाखिला तहरीर के आधार पर थाना थानाभवन पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा चोरी की घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्तगण की यथाशीघ्र गिरफ्तारी हेतु प्रभारी थानाभवन को निर्देशित किया गया था।

इसी क्रम में आज दिनांक 15.02.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे चोरी/लूट की घटनाओं के अनावरण व ऐसी वारदातों में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में एवं क्षेत्राधिकारी थानाभवन के कुशल पर्यवेक्षण में थाना थानाभवन पुलिस द्वारा थाना थानाभवन क्षेत्रान्तर्गत ग्राम मंटी हसनपुर के पास भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग के कार्य की साईट से हुई चोरी की घटना में लिप्त 01 अन्य चोर को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है, जिसके कब्जे से चोरी किये गये सामान से बेचकर प्राप्त धनराशि में से 1,500/- रुपये की नगदी बरामद हुयी है। गिरफ्तारी व बरामदगी के संबंध मे थाना थानाभवन पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। घटना में लिप्त अभियुक्त वरीस को पूर्व में ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त-

1.सोनू पुत्र इखलाक निवासी बहेडी राजपूताना थाना बहादराबाद जनपद हरिद्वार।

बरामदगी का विवरणः-

1.चोरी किये गये सामान को बेचकर प्राप्त धनराशि में से 1,500/- रुपये की नगदी।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.उ0नि0 श्री सोमपाल सिंह थाना थानाभवन जनपद शामली।

2.का0 विकास मलिक थाना थानाभवन जनपद शामली।

थाना गढ़ीपुख्ता पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध 20 पव्वे देशी शराब बरामदः-

आज दिनांक 15.02.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री राम सेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे वांछित/चोरी, लूट, डकैती, नकबजनी, स्नैचिंग व मादक पदार्थ में लिप्त अपरधियों की गिरफ्तारी से सम्बन्धित अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी थानाभवन के निकट पर्यवेक्षण में थाना गढ़ीपुख्ता पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त को 20 पव्वे देशी शराब महबूबा मार्का सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की गई है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.अजय कुमार पुत्र मुकेश कश्यप निवासी मौहल्ला कश्यपपुरी कस्बा व थाना गढीपुख्ता जनपद शामली।

बरामदगी का विवरणः-

1.देशी शराब 20 पव्वे फ्रूटी पाउच महबबूबा मार्का।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीमः-

1.उ0नि0 श्री सोहनपाल गिरी थाना गढ़ीपुख्ता जनपद शामली।

2.का0 अनिल कुमार थाना गढ़ीपुख्ता जनपद शामली।

थाना गढीपुख्ता पुलिस द्वारा सट्टा लगाते हुए 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से पर्चा सट्टा, गत्ता, पेन्सिल व नगदी बरामदः-

दिनांक 15.02.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार चलाए जा रहे अपराध की रोकथाम एवं अपराध में लिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी थानाभवन के निकट पर्यवेक्षण में थाना गढीपुख्ता पुलिस द्वारा सट्टा लगाते हुए 01 अभियुक्त को पर्चा सट्टा, गत्ता, पैन व कुल 610/- रुपये सहित गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना गढीपुख्ता पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता अभियुक्त-

1.नीटू पुत्र नरेश कुमार निवासी मौहल्ला कश्यपपुरी थाना गढीपुख्ता जनपद शामली।

बरामदगी का विवरणः-

1.नकदी कुल 610/- रुपये।

2.पर्चा सट्टा, गत्ता व पेन्सिल।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीमः-

1.उ0नि0 श्री विनोद कुमार थाना कांधला जनपद शामली।

2.उ0नि0 श्री रामकिशन थाना कांधला जनपद शामली।

<u>प्रेस नोट</u>

<u>उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप शामली पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के क्रम में 04 अलग-अलग मामलों में 08 अभियुक्तों को माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई कारावास की सजा एवं 45,500/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित भी किया गयाः-</u>

1. वर्ष 1998 में अभियुक्त सोनू पुत्र ताराचन्द निवासी गुलामराय थाना गंगोह जनपद सहारनपुर के विरुद्ध थाना कैराना पर मु0अ0सं0 42/1998 धारा 5/8 सीएस एक्ट पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 15.02.2025 को माननीय न्यायालय सीजेएम कैराना द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जेल में बितायी गयी अवधि के कारावास व 5,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 10 दिवस के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

2. वर्ष 2003 में अभियुक्त राजकुमार उर्फ धामा पुत्र पूरन निवासी जहानपुरा थाना कैराना जनपद शामली के विरुद्ध थाना कैराना पर मु0अ0सं0 411/2003 धारा 380 भादवि पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 15.02.2025 को माननीय न्यायालय सीजेएम कैराना द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जेल में बितायी गयी अवधि के कारावास व 5,00/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 10 दिवस के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

3. वर्ष 2008 में अभियुक्त 1.काला उर्फ श्रवण पुत्र लक्ष्मण 2.सतपाल पुत्र लक्ष्मण 3.तैज्जू उर्फ तेजपाल पुत्र लक्ष्मण 4.मीमा उर्फ मैनपाल पुत्र लक्ष्मण 5.धोला उर्फ सोहनवीर समस्त निवासीगण कण्डेला थाना कैराना जनपद शामली के विरुद्ध थाना कैराना पर मु0अ0सं0 785/2008 धारा 379/21 खनन अधिनियम पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 15.02.2025 को माननीय न्यायालय सीजेएम कैराना द्वारा अभियुक्तगण उपरोक्त को जेल में बितायी गयी अवधि के कारावास व 6,000-6,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 01-01 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

4. वर्ष 2001 में अभियुक्त फुरकान पुत्र सत्तार निवासी मौहल्ला बैगमपुरा थाना कैराना जनपद शामली के विरुद्ध थाना कैराना पर मु0अ0सं0 4316/2001 धारा 292/293 भादवि0 व 52ए/63/68 कॉपीराईट एक्ट पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 15.02.2025 को माननीय न्यायालय सीजेएम कैराना द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को न्यायालय उठने तक की सजा व 10,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

<u>SOCIAL MEDIA CELL SHAMLI</u>